न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : R.N. 10-4/ R. /73/94 - विरूद्ध आदेश दिनांक 20-10-1993- पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 385-अ-6/1983-84 अपील

1- महिला फूलमती पत्नि स्व. सुवरन
ग्राम कचनी तहसील बेढन जिला सिंगरोली
2- रामलल्लू 3-. लालजी पुत्रगण स्व. सुखलाल
4- महिला फूलमति पुत्री सुखलाल
ग्राम वकहूल तहसील सरहीई जिला सिंगरोली
5- भगवत 6- तेजवली 7- कल्लू पुत्रगण स्व. शोभनाथ
सभी ग्राम वकहूल तहसील सरहीई जिला सिंगरोली
8- शंकर पुत्र रामसुन्दर
9- हरिप्रसाद पुत्र ददई ग्राम ग्राम वकहूल
तहसील सरहीई जिला सिंगरोली
10-सवाई लाल 11- पिवारूलाल पुत्रगण सुनई
ग्राम वकहूल तहसील सरहीई जिला सिंगरोली
12- महादेव 13- पन्नेलाल पुत्रगण रामसुन्दर
14- रामकृपाल पुत्र दादू सभी ग्राम बोदरा टोला
तहसील देवसर जिला सीधी ——आवेदकगण

विरूद्ध

1- श्यामविहारी 2- ददू प्रसाद पुत्रगण उदल
ग्राम वकहूल तहसील सरहीई जिला सिंगरोली
3- शंकर पुत्र रामप्यारे
4- रामदुलारे (मृत) पुत्र बेचूलाल
(वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत नहीं)
5- महिला सिहारवाली वेवा स्व. रामदास
6- लालदेव 7- ददोले पुत्रगण स्व. शीतलप्रसाद
8- भोलानाथ पुत्र रामदास
9- रामनाथ पुत्र रामदास
10- दददे पुत्र रामदास
सभी ग्राम बकहुल तहसील देवसर जिला सीधी ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल)

आ दे श

(आज दिनांक 15 - 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 385 अ-6/ 1983-84 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-10-1993 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला रामसुन्दर सोनई पुत्री मन्धारी तेली ने नायव तहसीलदार देवसर को आवेदन देकर मांग की कि ग्राम बकहुल की भूमि सर्वे नंबर 126/16.24 व 137/18.76 कुल किता 2 कुल रकबा 35.00 के पटटेदार अनावेदकों के पिता है जो फोत है वारिस आवेदक है क्योंकि जरिये विक्री 1500/- रू. अनावेदकों से लेकर काविज होकर कास्त करते हैं इसलिये नामान्तरण किया जाय। नायव तहसीलदार देवसर ने प्रकरण कमांक 11 अ-6/1966-67 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 28-12-1967 पारित किया एंव ग्राम बकहुल की भूमि सर्वे नंबर 126/16.24 व 137/18.76 कुल किता 2 कुल रकबा 35.00 का नामान्तनण अनावेदक के स्थान पर आवेदक रामसुन्दर एंव महिला सोनई पुत्री मंधारी तेली के नाम बराबर हिस्से पर स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष दिनांक 10-1-1984 को अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, देवसर ने प्रकरण कमांक 36 अ-6/ 1983-84 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-1984 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 28-12-67 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 385-अ-6/1983-84 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-10-1993 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 22-11-2016 पर लिये गये निर्णय

के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव आवेदकगण के अभिभाषक की ओर से मृतक आवेदक सुवरन पुत्र रामसुन्दर, सुखलाल पुत्र रामसुन्दर, शोभनाथ पुत्र रामसुन्दर, ददई पुत्र सुनई एंव अनावेदक उदल तथा शीतलप्रसाद के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन दिनांक 8-9-2017 को प्रस्तुत किया गया है किन्तु इस आवेदन में किस पक्षकार की मृत्यु किस दिनॉक को हुई है इस सम्बन्ध में पुष्टिकरण हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किये हैं एंव आवेदन में भी मृत्यु दिनॉक अंकित नहीं किया गया है, रामदुलारे (मृत) पुत्र बेचूलाल के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने सुवरन, रामनाथ, ददई की मृत्यु कमशः लगभाग 1, 3, 5 वर्ष पूर्व होना बताया है। रामदुलारे पुत्र बेचूलाल की मृत्यु ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र में दिनांक 20-4-2005 को होना जाना बताया है अर्थात वर्ष 2005 के पूर्व इस पक्षकार की मृत्यु हुई है यही स्थिति पक्षकार उदल प्रसाद पुत्र रामप्यारे की है जिसकी मृत्यु 14-1-1997 को होने का प्रमाणीकरण है। स्पष्ट है कि मृतक पक्षकारों के वारिसानों को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन में मृत्यु दिनांक इसलिये स्पष्ट नहीं किया गया है कि आवेदन दिनांक 8-9-2017 के कई वर्षो पूर्व पक्षकारों की मृत्यु हो चुकी है एंव समय रहते उनके वारिसान को रिकार्ड पर न लिया जाना परिलक्षित है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी Abate उपसमित होने से प्रचलन योग्य नहीं रही है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी Abate उपसमित होने से इसी-स्तर पर निरस्त है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर